

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 49
TO BE ANSWERED ON 7th FEBRUARY, 2025

ASSISTANCE TO FOOD PROCESSING SECTOR

49 SHRI VAIKO:

Will the Minister of *FOOD PROCESSING INDUSTRIES* be pleased to state:

- (a) the details of schemes announced in the Budget of 2024-25, relating to food processing industry for achieving Viksit Bharat by 2047;
- (b) the number of multi-product food irradiation units set up in food processing sector in the last one year and the quantum of financial support given by Government; and
- (c) whether any assistance has been requested from the Ministry for setting up of Food Quality and Safety Testing Labs and the progress of setting up of such labs in various States, including Tamil Nadu, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD
PROCESSING INDUSTRIES
(SHRI RAVNEET SINGH)

- (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 49 FOR ANSWER ON 07.02.2025 BY SHRI VAIKO REGARDING “ASSISTANCE TO FOOD PROCESSING SECTOR”.

(a): During the presentation of the Annual Financial Statement for FY 2024-25 on July 23, 2024, the Finance Minister announced financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector. Additionally, the Finance Minister announced that setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. The details of schemes for (A) Food Safety & Quality Assurance Infrastructure- (FTL) and (B) Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure – “setting-up of multi-product food irradiation units” are at **Annexure-I**.

(b): In the last year, one multi-product food irradiation unit i.e. M/s. Lions Foods Pvt. Ltd., Gir Somnath, Gujarat has been set up with total project cost of ₹22.45 Crore and approved Grants-in-aid / Subsidy of Rs. 6.47 Crore.

(c): The Food Safety & Quality Assurance Infrastructure- (FTL) scheme is demand driven and in accordance with the current guidelines, no State wise/ UT wise allocation is made. The proposals from prospective applicants are invited by floating an expression of interest for the setting up/ upgradation of food testing laboratories. The funds are provided as grants-in-aid/subsidy to approved projects across the country, including the state of Tamil Nadu. To date, 165 projects have been completed out of 205 approved projects under the FTL scheme. In Tamil Nadu, 19 projects have been completed out of 23 approved projects.

ANNEXURE REFERRED IN REPLY TO PART (a) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 49 FOR ANSWER ON 07.02.2025 REGARDING “ASSISTANCE TO FOOD PROCESSING SECTOR”

(A) Scheme for Food Safety & Quality Assurance Infrastructure (FTL):

Objectives of the Scheme: To strengthen the food quality control infrastructure and make it accessible to the food processing sector and other stakeholders, ensuring compliance with domestic and international food safety standards. Additionally, the scheme aims to reduce the Turn-around Time (TAT) for the analysis of food samples.

Eligible Entities: Any private organization/entity, Corporate Entity, Proprietorship/ Partnership Entity/ Government organization intending to set up/ upgrade its existing Food Testing Laboratory.

Pattern of Assistance:

- **Government Organizations:** 100% of the Eligible Project Cost comprising Food Testing Equipment and Technical Civil Work for Government organizations.
- **Private Organizations:**
 - 50% of Eligible Project Cost for general areas/ general category applicants.
 - 70% of Eligible Project Cost for difficult areas and SC/ST applicants.

(B) Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure – setting-up of multi-product food irradiation units: Setting up of multiproduct irradiation facilities/units is a Sub-component of Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure Scheme (Cold Chain Scheme)

Objective of the Scheme: To ensure reduction of loss and wastage of perishable agricultural produce like fruits and vegetables with irradiation treatment.

Irradiation is widely accepted as a proven and effective post-harvest treatment. Countries across the globe including India have been using industrial irradiators for the processing of food products for commercial purposes.

Irradiation facilities in cold chain scheme under PMKSY, are a standalone component and may include integrated infrastructures like cold storage, grading and sorting facilities, reefer vans for effective storage and transportation of the irradiated materials.

Eligible Entities: As per scheme guidelines, individuals, groups of entrepreneurs, cooperative societies, Self Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organizations (FPOs), NGOs, Central/State PSUs, etc. are eligible for preferring applications for setting up integrated cold chain and value addition infrastructure projects.

Pattern of Assistance: Under the scheme, the Ministry provides grants-in-aid @ 35% of eligible project cost in General Areas and @50% of eligible project cost in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST promoters, FPOs and SHGs subject to maximum Rs.10 crore.

[Note: Difficult Area for proposals under this Scheme means North-Eastern States (including Sikkim), State of Uttarakhand, State of Himachal Pradesh, Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, State Notified ITDP(Integrated Tribal development Projects) areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).]

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *49
07 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सहायता

***49. श्री वाइको:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत एक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और
- (ग) क्या मंत्रालय से खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कोई सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है तथा तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री वाइको द्वारा दिनांक 07.02.2025 को "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहायता" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): 23 जुलाई, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के दौरान, वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एनएबीएल मान्यता के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी। (क) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना- (एफटीएल) और (ख) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना - "बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना" के लिए योजनाओं का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): पिछले वर्ष, एक बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाई अर्थात् मेसर्स लायंस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, गिर सोमनाथ, गुजरात की स्थापना 22.45 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 6.47 करोड़ रुपए अनुदान सहायता/सब्सिडी अनुमोदित के साथ की गई है।

(ग): खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना- (एफटीएल) योजना मांग आधारित है और वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं किया जाता है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके भावी आवेदकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में स्वीकृत परियोजनाओं को अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। आज तक, एफटीएल योजना के तहत 205 स्वीकृत परियोजनाओं में से 165 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। तमिलनाडु में, 23 स्वीकृत परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

दिनांक 07.02.2025 को "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहायता " के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 49 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल) योजना:

योजना के उद्देश्य: खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे को मजबूत करना और इसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और अन्य हितधारकों के लिए सुलभ बनाना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करना है।

पात्र संस्थाएं: कोई भी निजी संगठन/संस्था, कॉर्पोरेट संस्था, स्वामित्व/साझेदारी संस्था/सरकारी संगठन जो अपनी मौजूदा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित/उन्नत करने का इच्छुक हो।

सहायता का पैटर्न:

- **सरकारी संगठन:** सरकारी संगठनों के लिए खाद्य परीक्षण उपकरण और तकनीकी सिविल कार्य सहित पात्र परियोजना लागत का 100%।
- **निजी संगठन :**
 - सामान्य क्षेत्र/सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए पात्र परियोजना लागत का 50%।
 - दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए पात्र परियोजना लागत का 70%।

(ख) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना – बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना: बहु-उत्पाद विकिरण सुविधाओं/इकाइयों की स्थापना एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला योजना) का एक उप-घटक है।

योजना का उद्देश्य: विकिरण उपचार से फलों और सब्जियों जैसी शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज की हानि और बर्बादी में कमी सुनिश्चित करना।

विकिरण को फसल कटाई के बाद के उपचार के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। भारत सहित दुनिया भर के देश वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक विकिरणकों का उपयोग कर रहे हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोल्ड चेन योजना में विकिरण सुविधाएं एक स्वतंत्र घटक हैं और इसमें कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और छंटाई सुविधाएं, विकिरणित सामग्रियों के प्रभावी भंडारण और परिवहन के लिए रीफर वैन जैसी एकीकृत अवसंरचनाएं शामिल हो सकती हैं।

पात्र संस्थाएं: योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्ति, उद्यमियों के समूह, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), गैर सरकारी संगठन, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम आदि एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवेदनों को प्राथमिकता देने के पात्र हैं।

सहायता का स्वरूप: इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से तथा कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं के साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों, एफपीओ तथा स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की सीमा के अधीन, परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करता है।

[नोट: इस योजना के तहत प्रस्तावों के लिए कठिन क्षेत्र का तात्पर्य पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र, राज्य अधिसूचित 1 टीडीपी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना) क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र) से है।]

SHRI VAIKO: Sir, this year, Rs.4,364 crores have been allotted to Food Processing under this Budget. There are 41 Food Parks and, approximately, 400 cold chain ecosystems and other agro-processing clusters proposed in the scheme. I would like to know from the hon. Minister how many Food Parks and other cold chain ecosystems and other agro-processing clusters are proposed to be established in Tamil Nadu and in the neighbouring States.

श्री रवनीत सिंह : वाइस-चेयरमैन सर, चूँकि माननीय सदस्य ने बजट की बात की है, तो मैं यह जरूर बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का, हमारी मिनिस्ट्री का ध्यान hygienic food, safety और nutrition के ऊपर है। जैसा इन्होंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का इसमें शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने हमें 4,364.22 करोड़ का बजट दिया है। इसमें कुछ नई चीजें आई हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो जो NIFTEM है, वह आपकी स्टेट में है, तमिलनाडु के तंजावुर में है, तो अभी NIFTEM बिहार में भी दिया गया है। उसके बारे में मैं आपको यह जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने यह बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें पहले तो मैं आपकी स्टेट को appreciate करता हूँ। I must appreciate this कि NIFTEM में जितने नए बच्चे हैं, चाहे वे BTech हों, MTech हों, PhD हों, उनकी training और skilling के बारे में बहुत अच्छा काम वहाँ पर हुआ है। खास तौर पर आपकी स्टेट ने तंजावुर में onion processing, tomato, coconut के क्षेत्र में mission mode में बहुत अच्छा काम किया है। आपने एक Neera Processing नया शुरू किया, जिसके बारे में आपने Neera sugar and sugar crystals की बात की। आपने जहाँ तक testing laboratories की बात की, उसके संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पहले ही 23 testing laboratories sanctioned हैं, उनमें से 19 operational हैं, 4 ongoing हैं और इसके लिए total grant 51 करोड़ रुपए दी गयी है। तमिलनाडु में एक irradiation unit है और यह demand-driven है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमने यानी इस सरकार ने keeping this in mind, the Government as proposed 50 multi-product food irradiation units and 100 testing units. संबंधित राज्य सरकार इसके लिए कुछ भी माँगेगी, हम वह दे सकते हैं।

सर, माननीय सदस्य ने food parks की बात की है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि वह बहुत पुरानी स्कीम थी। उसके माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों पर बहुत-से food parks बने हैं और वे पूरी हो चुकी हैं। अब उसके तहत आगे कोई भी फूड पार्क लगाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास आगे इस तरह के फूड पार्क लगाने की कोई स्कीम नहीं है।

SHRI VAIKO: Mr. Vice-Chairman, under the PM Kisan Sampada Yojana, how much credit-linked financial assistance is provided to entrepreneurs for creation of modern infrastructure for setting up food processing industries in the State of Tamil Nadu in the last three years? Our State is known for rice production, and, therefore, for rice bran oil, de-oiled cake produced for cattle feed and other products. Kindly provide the details as to how much credit-linked subsidy and seed capital has been sanctioned to the Self-Help Groups in the State of Tamil Nadu.

SHRI CHIRAG PASWAN: Sir, the hon. Member has asked a very specific question with regard to his State. I would give the details. The Minister of State has already explained in detail about the NIFTEM. It is one of the universities, which is widely recognized across the globe. Sir, primarily, there are three schemes, through which the Ministry's programmes are implemented. First is the PM Kisan Sampada Yojana, (PMKSY), which the hon. Member just mentioned; second is the PMFME; and the third is the PLI scheme. There is further sub-categorization, the details of which you have asked.

Answering your specific question under PMKSY, 148 projects have been approved for the State of Tamil Nadu with a project cost of Rs. 1,267.23 crores. Under the PMFME scheme, 1,16,164 micro food-processing units have been sanctioned with a loan amount of Rs. 3,273.40 crores. These are the schemes we have implemented. If the hon. Member desires a detailed State-wise or District-wise break-up, the same can be provided to him. Sir, in addition, I would also like to mention that for the State of Tamil Nadu, four incubation centres have been approved with a subsidy of Rs. 8.78 crores. These are the details of the schemes that we implement. If the hon. Member wishes to have further break-up, it will also be provided to him.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, my question is regarding the food-processing units, especially, in Tamil Nadu. Most of the farmers, who grow tomatoes, are not able to market their produce because of low prices. I would like to know whether the Central Government come forward to establish a food-processing industry there and give subsidy to farmers to save their lives as it is a serious matter in the State of Tamil Nadu.

SHRI CHIRAG PASWAN: Sir, we are rapidly increasing the infrastructure and we are providing that ecosystem so that...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): प्रश्न काल समाप्त। The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.